निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
112 / 2019	04.10.2019	23-12-2025

मन्नू पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

1. उमेश पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
2. गोपाल पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. मुकेश पुत्र जती, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
4. बसन्ती देवी बेबा रंगलाल, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
5. सतानंद पुत्र रंगलाल, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
6. शिवराज पुत्र रंगलाल, माली निवासी जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
7. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे शाखा गंगापुर सिटी
8. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा गंगापुर सिटी जरिए शाखा प्रबन्धक
9. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन, घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :— श्री रामकिशोर शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हुकमसिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 1,2,3 की ओर से
श्री गजेन्द्र सैनी, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 4,5,6 की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 147 ग्राम जाट बडौदा जमाबंदी संवत 2071—74 मे वर्णित भूमि ख0न0 29 रकबा 0.45 है0, ख0न0 42 रकबा 0.57 है0, ख0न0 452 रकबा 0.12 है0, ख0न0 534 रकबा 0.42 है0, ख0न0 557 रकबा 0.06 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 228 ग्राम जाट बडौदा मे स्थित भूमि ख0न0 39 रकबा 0.17 है0 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की खातेदारी मे दर्ज है तथा जमाबंदी मे दर्ज हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज है। पक्षकारान ने सहमति से भूमि का विभाजन किया हुआ है लेकिन भूमि की डौल मेड पर आये दिन विवाद होता रहता है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0न0 29 रकबा 0.45 है0, ख0न0 42 रकबा 0.57 है0, ख0न0 452 रकबा 0.12 है0, ख0न0 534 रकबा 0.42 है0, ख0न0 557 रकबा 0.06 है0 ग्राम जाट बडौदा मे रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य मीट्स एंड बाउन्ड्स से अलग अलग खातेदारी दर्ज की जावे एवं भूमि ख0न0 39 रकबा 0.17 है0 ग्राम जाट बडौदा रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के मध्य मीट्स एंड बाउन्ड्स से अलग अलग खातेदारी दर्ज की जावें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.12.25 13:37:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

पाबंद किया जावे कि वे उक्त कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तित नही करे तथा वादी को भूमि को देखल नही करे, भूमि को रहन वय करने की धमकी नही देवे तथा प्रतिवादी संख्या 9 को निर्देशित किया जावे कि वह मुताबिक निर्णय हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 7, 9 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, की ओर से कोई जबाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 ने अपने जबाब मे वादी के दावे को स्वीकार करते हुए भूमि ख0न0 39 का विभाजन मौके एवं कब्जे अनुसार करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने जबाब दावे मे अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6 ने जबाबदार बैंक के यहॉ से ऋण ले रखा है तथा ऋण को चुकाये वगैरा वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बैंक की ऋण राशि चुकाये बिना सिकी दीगर व्यक्ति को भूमि न तो विक्रय की जा सकती है और न ही रहन रखी जा सकती है। ऋण राशि जमा कराये बिना वादी का दावा चलने योग्य नही हैं। अतः वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 228, 147 ग्राम जाट बडौदा प्रस्तुत की है।

जबाब दावे के समर्थन मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक की बहस सुनी जाकर वादी का यह दावा दिनांक 02.02.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक एलआर/25/5324 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर वादी के अभिभाषक को सुना गया। वादी के अभिभाषक तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करने पर सहमत है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न अनुसार [illegible] का विभाजन किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:37:45 IST
Reason: SelfAttested

1. मन्नू पुत्र जति, माली [illegible] खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 29/4 रकबा 0.1125 है0, ख0न0 42/[illegible] रकबा 0.1425 है0, ख0न0 534 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

0.1500 है0 कुल रकबा 0.4050 है0 ग्राम जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

2. उमेश पुत्र जति, माली निवासी सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 29/2 रकबा 0.1125 है0, ख0न0 43/2 रकबा 0.1425 है0, ख0न0 452/2 रकबा 0.0600 है0, ख0न0 534/2 रकबा 0.0900 है0 ग्राम जाट बडौदा रहेगीं।

3. गोपाल पुत्र जति, माली सा. देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 29/3 रकबा 0.1125 है0, ख0न0 42/2 रकबा 0.1425 है0, ख0न0 534/3 रकबा 0.0900 है0, ख0न0 557 रकबा 0.0600 है0 ग्राम जाट बडौदा तह0 गंगापुर सिटी रहेगी।

4. मुकेश पुत्र जति, माली सा.देह की खातेदारी मे भूमि ख0न0 29/1 रकबा 0.1125 है0, ख0न0 42/4 रकबा 0.1425 है0, ख0न0 452/1 रकबा 0.0600 है0, ख0न0 534/1 रकबा 0.0900 है0 ग्राम जाट बडौदा रहेगी।

5. मन्नू, उमेश, गोपाल, मुकेश पि. जति, हि0 ब0 माली सा.देह की खातेदारी मे भूमि ख0न0 39/2 रकबा 0.0850 है0 ग्राम जाट बडौदा रहेगी।

6. शिवराज, सतानंद पि. रंगलाल हि0 ब0 जाति माली सा.देह खातेदार की खातेदारी मे भूमि ख0न0 39/1 रकबा 0.0850 है0 ग्राम जाट बडौदा रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारान के नाम भूमि की पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जावें। पृथक पृथक लगान दर्ज किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। जमाबंदी मे दर्ज बैंक रहन यथावत रहेगा। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23-12-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.01.15 13:37:45 IST
Reason: SelfAttested